

105/2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प हरिनाथपुर

क्रमांक: राजस्व/2021/

दिनांक : / /2021

आदेश

आवेदक श्री देवनाथ ने तहसील कोटखावदा में ग्राम बाबुचानपुर स्थित आराजी खन बाबुचानपुर रकबा के संबंध में जमाबन्दी सम्वत् 2076 के खाता संख्या 4 पर अंकित प्रविष्टि दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम बाबुचानपुर की जमाबन्दी के खाता संख्या 4 की प्रविष्टि के स्थान पर देवनाथ पुत्र हरदेव किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी हल्का हरिनाथपुर की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री देवनाथ पुत्र श्री हरदेव जाति भोज निवासी बाबुचानपुर तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्वत् 2076 के खाता संख्या 4 में अंकित प्रविष्टि देवकरण पुत्र हरदेव के स्थान पर देवनाथ पुत्र हरदेव हि. 1/12 किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)पुर

दिनांक : 26 / 11 / 2021

क्रमांक: राजस्व/2021/ 3524

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार कोटखावदा
2. पटवारी हल्का हरिनाथपुर

शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)